

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/ संस्कृत/स्थानान्तरण/2019-20 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री नन्द किशोर शर्मा व्याख्याता, संस्कृत, राउमावि सांगानेर जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि मंशा कोटड़ी, माण्डलगढ़, भीलवाड़ा किया गया। नन्द किशोर शर्मा द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 4086/2019 नन्द किशोर शर्मा बनाम निदेशक, मा० शिक्षा, राज० बीकानेर, एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4086/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2019 द्वारा अपीलार्थी नन्द किशोर शर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए NCC Activities वाले विद्यालयों के रिक्त पद दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में एक नवीन आदेश प्रसारित कर अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रसारित किये।


माननीय अधिकरण के निर्णय के तहत अपीलार्थी नन्द किशोर शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा अपना पदस्थापन जयपुर जिले में राउमावि सांगानेर, जयपुर करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागांना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। इससे स्पष्ट है कि प्राप्त आवेदनों में रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाना बाध्यकारी नहीं है।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी लोक सेवक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। चूंकि नन्द किशोर शर्मा का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है। अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि मंशा कोटड़ी, भीलवाड़ा में व्याख्याता संस्कृत के पद पर दिनांक 23.12.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

  
(हिमांशु गुप्ता)  
IAS


निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक:- 20.12.2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-1/ संस्कृत/अपील सं.4086/नन्द किशोर शर्मा/2019/

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका

  
संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)